कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन मोपाल-462004 आदेश

क्रमांक : 3 6 7 / 130 / आउशि / शाखा—5'अ' / 2014: माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ में इन्दिरा स्कूल केरियर स्टडीज एवं 6 अन्य विरुद्ध म.प्र.शासन द्वारा दायर याचिका क्रमांक W.P. No. 4076 / 2014 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5.6.2014 में माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ के द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये हैं:

"In view of the aforesaid, we direct that for the current academic session 2014-15 counseling shall be held strictly in accordance with the previous academic session 2013-14 and deviation made shall not be implemented till final decision of this petition. Apart from the aforesaid, the remaining time schedule fixed by the respondents shall continue to remain in operation and there shall be no deviation for the same."

Learned Government Advocate prays for and is granted four week's time to file reply.

List immediately after summer vacation along with W.P. No. 3780/2014

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के तहत गत संत्र के अनुसार ही संत्र 2014–15 हेतु अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जावे । उक्त स्नातक/स्नातकोत्तर ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अध्यधीन रहेगी।

> (डॉ टी.एस. निरंजन) वि.क.अ. सह आयुक्त ५ उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक³.68/130/आउशि/शाखा—5'अ'/2014, प्रतिलिपिः

भोपाल, दिनांक12/6 2014

- 1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2. निज सहायक माननीय मंत्री / राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
- प्राचार्य, समस्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय, म.प्र.।
- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन,आई.सी.,विन्ध्याचल भवन भोपाल।

(डॉ. के.एम. जैन) संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश